

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2525]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2019/श्रावण 11, 1941

No. 2525]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2019/SHRAVANA 11, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2019

का.आ. 2778(अ).— केन्द्र सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. अम्बरीश मिथल, अंतः स्नाविज्ञानी, मेदांता को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के अध्यक्ष के रूप में एतद्वारा नामित करती है

[फा. सं. जेड-28016/65/2017-पीएमएसएसवाई-IV]

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2019

S.O. 2778(E).— In exercise of the power conferred by section 7 (1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Dr. Ambrish Mithal, Endocrinologist, Medanta as President of the All India Institute of Medical Sciences, Gorakhpur.

[F.No. Z-28016/65/2017-PMSSY-IV]

SUNIL SHARMA, Jt. Secy.

3966 GI/2019